

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
94/2024

दायर दिनांक
15.03.2024
उनवान

निर्णय दिनांक
19.03.2024

1. कमला देवी पत्नी स्व० शान्ति लाल खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. कमला देवी पत्नी स्व० नानू खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. किशन लाल पुत्र नानू खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
4. ज्ञानमल पुत्र मांगू खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
5. रतन लाल पुत्र नानू खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजू पुत्र नानू खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
7. लादू लाल पुत्र उंकार खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
8. श्रीराम पुत्र शान्ति लाल खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
9. शिवानी पुत्री शान्ति लाल खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
10. नाथी देवी पत्नी स्व० रामेश्वर खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
11. सीताराम पुत्र रामेश्वर खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण


बनाम

1. जयराम पुत्र उदेराम ब्राह्मण (पालडिया) आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
2. रतनी देवी पुत्री उदेराम ब्राह्मण (पालडिया) आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजेन्द्र पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण (पालडिया) आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
4. रामू देवी पत्नी उदेराम ब्राह्मण (पालडिया) आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
5. सत्यनारायण पुत्र मूलचन्द ब्राह्मण (पालडिया) आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
6. लादू लाल पुत्र उंकार खटीक आयु वयस्क निवासी पुर तह० एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज०

-विपक्षीगण

उपस्थित-अधिवक्ता प्रार्थी देवेन्द्र सिंह राणावत

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-


—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 2576 की अभिलिखित आराजियात 3035 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4976 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 2576 की अभिलिखित आराजियात 3035 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4976 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।


उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में
भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

~~उपखण्ड अधिकारी~~
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा